न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

आदेश

वाद सं0 एम0 46 / 2023-24
धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता

प्रथम पक्ष.....विशाल गुप्ता ..... वगैरह
बनाम
द्वितीय पक्ष .....दिगम्बर साहु..... वगैरह

आदेश की क्र0सं0 एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
	वाद की कार्रवाई थाना पालकोट अप्राथमिकी सं० 02 /2023 दिनांक 01.06.2023 धारा 144 द०प्र०स० के अन्तर्गत प्रतिवेदित किया जाता है कि प्रथम पक्ष (1) विशाल गुप्ता उम्र करीब 36 वर्ष, पिता– गन्दुर साव (2) बसन्त कुमार गुप्ता उम्र 58 वर्ष पिता– स्व सकुआ साहु (3) दिलीप कुमार साव उम्र 55 वर्ष, पिता– स्व0 मोहन साव (4) बंशीधर गुप्ता उम्र 65 वर्ष, पिता– स्व0 विरिमा साव (5) कृष्ण कुमार केशरी उम्र 65 वर्ष पिता– स्व0 भैरोचरण केशरी (6) सुरेश उरॉव उम्र 76 वर्ष पिता– स्व0 सोमरा उरॉव (7) दयानन्द केशरी उम्र 67 वर्ष (8) संतोष कुमार गुप्ता उम्र 49 वर्ष पिता– मदन प्रसाद साव (9) विमल चन्द्र मोदी उम्र 38 वर्ष पिता– परमेश्वर मोदी (10) ब्रज महतो उम्र 38 वर्ष, पिता– ब्रहमदेव महतो (11) विजय मिश्रा उम्र 49 वर्ष पिता– पूर्णचन्द्र मिश्रा (12) निकेश कुमार गुप्ता उम्र 35 वर्ष पिता– केदार प्रसाद गुप्ता (13) मेघनाथ प्रजापति उम्र 52 वर्ष, पिता – स्व0 हरी महतो (14) मनोज कुमार नायक उम्र 44 वर्ष, पिता– शिवराम नायक (15) भोला प्रसाद साहु उम्र 62 वर्ष पिता– स्व0 मोहन साव साकिन,मौजा– पालकोट, थाना– पालकोट, जिला– गुमला के बीच खाता सं0 – 4206 प्लॉट सं0– 297 कुल रकबा 4.60 एकड़ जमीन को लेकर का विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्षों के द्वारा अशांति फैलाने की सम्भावना है। थाना प्रभारी, पालकोट के प्रतिवेदन के आलोक में उत्पन्न विवाद के मदेनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर 60 दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है। **प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एंव दाखिल कागजात :–** प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि जमीन आर.एस. खाता नं0 297 प्लॉट नं0 4206 कुल रकबा 5.71 एकड वाके मौजा पालकोट थाना वो अंचल पालकोट, जिला रांची वर्तमान गुमला गैर मजरूआ खास किस्म परती पत्थल दर्ज है । उक्त प्लॉट 4206 जो परती पत्थल है और यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि न केवल गुमला जिला वरन पुरे झारखण्ड में जिस भी गांव में चट्टान वाले भू–भाग पर आदिकाल से गांव वाले सामुहिक रूप से उपयोग करते है और कभी भी कोई भुतपूर्व जमींदार उस चट्टान वाले हिस्से को किसी व्यक्ति के साथ बन्दोबस्ती करने का रीवाज नहीं रहा है ।उल्लेख करना आवश्यक है कि प्लॉट 4206 के चौहद्दी–	

द्वितीय पक्षो द्वारा उच्च न्यायालय के उक्त आदेश से यह दावा करना कि उनके पक्ष में विवादित जमीन पर हक दखल की घोषणा कर दिया गया है सरासर गलत है ।उच्च न्यायालय के आदेश का गलत अर्थ निकालकर द्वितीय पक्षो द्वारा प्रथम पक्ष के द्वारा जो सम्पुर्ण गांव गैराही द्वारा आदिकाल से आ रहे विवादित जमीन के उस हिस्से पर बनाये *रखने के लिये गठित संघर्ष मोचा बनाया गया है जिससे विशाल गुप्ता अध्यक्ष को अधिकृ* त किया गया है और उसी हैसियत से यह लिखित जवाब वो बहस दाखिल किया जा रहा है

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि प्रथम पक्ष के पिता द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश का गलत अर्थ लगाकर उपरोक्त कण्डिका 3 के चौहद्दी जमीन 2.86 एकड दावी करने को लेकर आपके आदेश ज्ञापांक 634(11) दिनांक 22.12.2022 के अनुसार अंचलाधिकारी पालकोट की उपस्थिति में स्थल मॉपी किया गया है । उक्त स्थल मॉपी से सम्बंधित प्रतिवेदन की सच्ची प्रतिलिपि संलग्न किया गया है । यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि उच्च न्यायलाय के उक्त आदेश के बाद भुमि सुधार उप समाहर्ता बसिया को द्वितीय पक्ष के पिता द्वारा दाखिल हक वाद 8/2013 में सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से पार्टी बनाकर आम लोगो के हक की रक्षा हेतु कार्यवाही करना चाहिए पर कोई कार्यवाही नहीं किये जाने प्रथम पक्ष द्वारा उक्त हक वाद में नियमित रूप से विपक्षी बनाये जाने वो उनके हक अधिकार को बरकरार रखने हेतु दिनांक 21.02.23 को दाखिल किया गया है । दरखास्त के अन्दर दफा 1 रूल 10 मे प्रथम पक्ष द्वारा हक वाद 8/13 में दाखिल आवेदन का छाया प्रति संलग्न है । द्वितीय पक्ष के लोग दिनांक 01.06.23 को स्थल पर नाजायज मजमा बनाकर आये वो कहने लगे कि उप समाहर्ता बसिया द्वारा कहां गया है कि उच्च न्यायालय झारखण्ड द्वारा विवादित जमीन पर हक दखल उनके पक्ष में हो गया है और जबरजस्ती दखल करने का प्रयास कर रहे थे पर उभय पक्ष थाना प्रभारी पालकोट द्वारा प्रतिरोध करने पर वे चले गये । उल्लेख करना आवश्यक है कि राजस्व अधिकारी के द्वारा आदेश का गलत अर्थ लगाना और द्वितीय पक्ष को प्रोतसाहित करना पुर्णतः नियम विरुद्ध है । पक्ष के लोग उक्त आदेश का गलत अर्थ लगाकर बाहर के लोगो को भी हरवे हथियार के बल जमीन पर कब्जा करने के प्रयास से शांति भंग होना तय है । सदस्यगण प्रथम पक्ष पालकोट गांव के आम निवासियों के हक को बरकरार रखने के लिये शांति पूर्वक कानुनी हक के लिये हक वाद 8/2013 में पार्टी बनने का कार्यवाही किये है । द्वितीय पक्ष जो दबंगओ झगलाडु किस्म के व्यक्ति है वो नाजायज मजमा बनाकर विवादित प्लॉट के उस हिस्से पर जिसपर आदिकाल से गांव गैराही शांति पूर्वक दखलकार है पर जबरजस्ती दखल करने के प्रयास से शांति भंग होने की संभावना है। अन्य बाते दौरान सुनवाई के अर्ज किया जायगा । द्वितीय पक्षो के स्थिर (Absolute) किया जाय वो उन्हे तकरारी जमीन पर जाने से रोका जाय तथा न्यायहित में खिलाफ प्रथम पक्ष के Vacate किया जाय ।

प्रथम पक्ष की ओर से दााखिल कागजात।

1. लिखित जवाब।
2. पट्टा।
3. नक्शा।

द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एंव दाखिल कागजात :–

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि प्रथम के सदस्यों के द्वारा द्वितीय पक्ष के विरूद्ध में धारा 144 के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की गयी है न्याया संगत नहीं है तथा दूसरे पक्ष के सदस्यों के विरुद्ध जारी किया गया नियम कानून की दृष्टि में चलने योग्य नहीं है। दूसरे पक्ष के सदस्य शांतिप्रिय और कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं जिन्होंने कभी कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, इसलिए दूसरे पक्ष के सदस्यों की ओर से शांति भंग होने की कोई आशंका नहीं है जबकि दूसरे पक्ष के सदस्यों की ओर से शांति भंग होने की कोई आशंका नहीं है। प्राथमिकी पक्ष के वादी और इलाके के दबंग व्यक्ति हैं। कार्यवाही के अंतर्गत अन्य भूमियों के साथ अर्थात् आर.एस. खाता संख्या 297, प्लॉट संख्या 4206, रकबा 4.60 एकड़ ग्राम पालकोट, थाना पालकोट, जिला। गुमला को स्वर्गीय धुरन साहू पुत्र स्वर्गीय महिंदर साहू द्वारा दिनांक 04/02/1949 को सदा हुकुमनामा के आधार पर अधिग्रहित किया गया था, हुकुमनामा पूर्व भूमि स्वामी द्वारा निष्पादित किया जा रहा था। बाबू धरमजय लाल साहू एवं तदनुसार जमाबंदी नं. – 297/4 उनके (धुरन साहू) पक्ष में बनाया गया था। धुरन साहू ने अपने अधिकार, स्वामित्व और हित के आधार पर बिहार राज्य के अधीन एक रैयती के रूप में कब्जा जारी रखा और लगातार राज्य को लगान का भुगतान किया जिसके लिए उन्हें राजस्व लगान रसीद भी दी गई। अर्थात् वर्ष 1962-63 में बी.पी.एल.ई. केस नंबर 1/18 सन् 1962–63 के तहत उपरोक्त धुरन साहू के खिलाफ अतिक्रमण की कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसे दिनांक 15/06/1966 के आदेश के तहत इस आधार पर हटा दिया गया था कि 4.60 ए0 उपरोक्त हुकुमनामा दिनांक 04/02/1949 के आधार पर खाता नंबर 197, प्लॉट नंबर 4206 एकड़ जमीन धुरन साहू को बंदोबस्ती कर दी गयी थी। कार्यवाही के तहत भूमि पर धरुण साहू का विशेष कब्जा हो रहा है यानी आरएस खाता नंबर– 297, प्लॉट नंबर 4206 रकबा 4.60 एकड़ भूमि ग्राम+थाना – पालकोट, जिला में स्थित है। गुमला ने 1978 तक लगान रसीद के विरूद्ध राज्य को लगान का भुगतान किया। धुरन साहू ने अपने बेटे देव सागर साहू को 05/01/1978 को गिफ्ट–डीड नंबर – 25/78 के माध्यम से कार्यवाही के तहत अन्य जमीनों के साथ जमीनें अपने बेटे देव सागर साहू को उपहार में दीं। देव सागर साहू/दानकर्ता ने उपहार विलेख स्वीकार करने के बाद उपहार में दी गई संपत्तियों पर कब्जा कर लिया, म्यूटेशन केस नंबर के तहत अपना नाम बदल लिया। 24/1977-78 और 1992–93 तक किराया अदा किया।

उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना– पालकोट या अन्य स्त्रोत से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी है।

अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समयावधि में किसी प्रकार की शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती हे।

लेखापित।

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.07.03 14:34:51 +05:30
Location: 192.168.1.3

25/6/24
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बसिया (गुमला)

25/6/24
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बसिया (गुमला)